

Rs. 5 crores per km. for 2-lane roads is too little. It is like a drop in a bucket. It is like prescribing one medicine to all patients. Secondly, the Government should request the State Governments of hilly States to immediately identify the landslide-prone areas, make realistic estimates and submit them to the Government so that necessary action can be immediately taken. Thirdly, the Mechanical Division of the CPWD should immediately deploy their machines. The fourth point is that the EPC, Engineering Procurement & Construction system, which is to be introduced shortly, need to take immediate measures to stop further devastation. And my last point is, unfortunately, the Rs. 55,000 crores budget for capital works for the year 2016-17, is too little, and we need a little more than that.

SHRI RIPUN BORA (Assam): Sir, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Sir, I too associate myself with what the hon. Member has mentioned.

SHRI P.L. PUNIA (Uttar Pradesh): Sir, I too associate myself with what the hon. Member has mentioned.

Prevalence of manual scavenging in the Country

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह बात रखना चाहता हूँ कि देश में आज भी मैला ढोने वाले हैं, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। कल मैला ढोने वालों के पुनर्वास की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि राजधानी में मैला ढोने वालों का होना शर्मनाक है। ऐसी स्थिति यहां तलब है जबकि कानून में मैला ढोना प्रतिबंधित है। दिल्ली राज्य विधिक सेवा आयोग ने अदालत में अपनी रिपोर्ट दायर करते हुए कहा है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 233 मैला ढोने वाले हैं। दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में एक भी मैला ढोने वाले के न होने की बात कही है, जबकि आयोग उनके होने का दावा कर रहा है।
...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. It is time for Question Hour now.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं इस विषय के साथ स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ।